

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
अधिसूचना

अधिसूचना संख्या:- 6/80758 / पटना, दिनांक :- 03/09/2026

ग्रा0वि0-14(मधेपुरा)-01/2026

श्रीमती लवली कुमारी, (अनुक्रमांक-207636), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया, मधेपुरा (सम्प्रति-अवकाश में) को विभागीय पत्रांक-5058173 दिनांक-13.01.2026 द्वारा दिनांक-10.01.2026 से 08.07.2026 तक कुल 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। श्रीमती कुमारी द्वारा स्वीकृत मातृत्व अवकाश दिनांक-10.01.2026 से 08.07.2026 तक कुल-180 दिनों को द्वितीय प्रसव हेतु उपार्जित अवकाश में परिवर्तित करने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-579 दिनांक-28.04.2026 के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया गया।

मातृत्व अवकाश हेतु प्राप्त पत्र के साथ संलग्न श्रीमती कुमारी द्वारा समर्पित घोषणा-पत्र में यह उल्लेख किया गया कि पूर्व में इनके द्वारा प्रथम संतान हेतु मातृत्व अवकाश का उपभोग किया जा चुका है। यह अनुरोध द्वितीय संतान के लिए किया जा रहा है। जबकि प्रथम प्रसव में इन्हें दो (जुड़वा) संतान प्राप्त हुई थी। इस प्रकार जान-बुझकर गलत तथ्य समर्पित करने के बिन्दु पर श्रीमती कुमारी से विभागीय पत्रांक-5791302 दिनांक-19.06.2026 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिस पर श्रीमती कुमारी द्वारा दिनांक-22.06.2026 को स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

श्रीमती लवली कुमारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्रीमती लवली कुमारी, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया, मधेपुरा द्वारा द्वितीय संतान हेतु 180 दिनों का मातृत्व अवकाश का अनुरोध किया गया था, जिसमें आवेदिका प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा द्वितीय संतान के लिये उल्लेख करते हुए आवेदन पत्र दिया गया था। आवेदिका द्वारा प्रथम प्रसव में दो (जुड़वा) संतान होने के कारण यह तीसरे संतान के लिये आवेदित था, जो तोड़-मरोड़कर एवं तथ्यों को छिपाकर मातृत्व अवकाश प्राप्त किया गया, जो बिहार सेवा संहिता के नियम-220 के उप नियम (ख) के अनुसार अनुमान्य नहीं है। इस बिन्दु पर कारण पृच्छा करने के क्रम में उनके द्वारा दिगभ्रमित एवं तथ्यों की अनदेखी किया गया। श्रीमती लवली कुमारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया द्वारा पुनः द्वितीय प्रसव का उल्लेख करते हुए धोखाधड़ी से तथ्य को छिपाकर मातृत्व अवकाश प्राप्त करना, जो सरकारी सेवक के आचार नियमावली, 1976 की कंडिका-1(I)(II)(III) का उल्लंघन है।

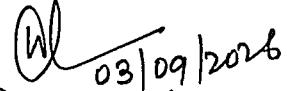
अतएव सम्यक विचारोपरांत श्रीमती लवली कुमारी, अनुक्रमांक-207636, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया, मधेपुरा के विरुद्ध "असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक" के साथ "निंदन" का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्रीमती लवली कुमारी के चरित्रपुस्त में इसकी प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

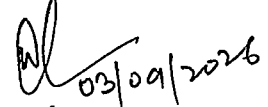
बिहार राज्यपाल के आदेश से


(नलिप प्रताप राणा)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 6/80758 / पटना, दिनांक :- 03/09/2026
ग्राOविO- 14(मधेपुरा)-01/2026

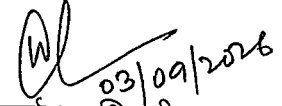
प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सीOडीO सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


03/09/2026

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 6/80758 / पटना, दिनांक :- 03/09/2026
ग्राOविO- 14(मधेपुरा)-01/2026

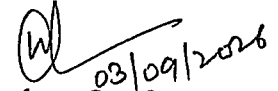
प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/उप विकास आयुक्त, मधेपुरा/कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03 ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/श्रीमती लवली कुमारी, (ग्राOविOसेO, अनुक्रमांक-207636), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गम्हरिया (मधेपुरा) सम्प्रति-अवकाश (गृह पता- पिता- रामानन्द पासवान, ग्राम- खैरा गढ़िया, पोस्ट- ऑफिस खगरा चंदा, थाना-नरपतगंज, अनुमंडल- फारबिसगंज, जिला-अररिया)/आई.टी.मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्श हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


03/09/2026

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक:- 6/80758 / पटना, दिनांक :- 03/09/2026
ग्राOविO- 14(मधेपुरा)-01/2026

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


03/09/2026

विशेष कार्य पदाधिकारी